

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
आदेश

संख्या-1/स्था० (21) 17/2022-...../पटना-15, दिनांक-...../2025

डॉ० कुमारी सोनिका वर्मा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कुदरा (कैमूर) को बिहार सेवा संहिता के नियम-243 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पत्र निर्गत की तिथि से दिनांक-24.03.2027 तक बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में पी०एच०डी० पाठ्यक्रम हेतु असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. डॉ० वर्मा को पी०एच०डी० पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु कोई सरकारी अर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(जीतेन्द्र कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था० (21) 17/2022-...../पटना-15, दिनांक-...../2025

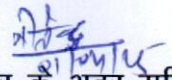
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/स्था० (21) 17/2022-.....¹⁵⁶²/पटना-15, दिनांक- ^{02/04} /2025

प्रतिलिपि:-निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमूर/संबंधित कौषांगार पदाधिकारी/डॉ० कुमारी सोनिका वर्मा, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कुदरा (कैमूर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।